न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 80 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 205

प्रार्थीगण

1 प्रहलादराम चेला हिराराम वगैरह

अप्रार्थीगण

प्रकाश राम पुत्र तथाकथित महंत हिराराम, वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 25.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द पुरोहित उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 29.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सरवाना पटवार हलका सरवाना में प्रार्थीगण के मंदिर/मठ श्री जेतराम जालेश्वर शिव मंदिर के पुजारी खातेदार, मालिकाना हक का खेत खसरा नंबर 236 रकबा 6.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 243 रकबा 3.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 316 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 12.56 हैक्टेयर जुमले रकबा 23.18 हैक्टेयर भूमि आई हुई थी जिसमें से नर्मदा नहर में रकबा 0.696 हैक्टेयर भूमि अवाप्त होने से शेष रकबा 22.484 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। खसरा नंबर 317 में से नर्मदा नहर हेतु भूमि अवाप्त होने से उक्त खसरे का नवीन तरमीम खसरा नंबर 1955/317 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1956/317 रकबा 11.72 हैक्टेयर सृजित किया गया। उक्त आराजी जेतराम जालेश्वर शिव मंदिर मठ की भूमि है जो जानवी से सरवाना जाने वाली पक्की रोड़ पर स्थित है जिसमें तमाम पुजारियों के चेला को बराबर हक हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त आराजी को आगे प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। हिराराम द्वारा अवैध व गैर कानूनी वसियत अप्रार्थी प्रकाशराम के पक्ष में कराने से उक्त गैर कानूनी दस्तावेज से प्रार्थीगण को अपने हक हकूकों से वंचित कर प्रकाशराम के नाम संपूर्ण भूमि तहसीलदार सांचौर अवैध व गैर कानूनी रूप से अमलदरामद करवाकर आगे से अगो प्रार्थीगण की मालिकाना हक की भूमि को हस्तांतरण, तर्क, वसीयत, रहन करने हेतु तुले हुए है।

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

तहसीलदार सांचौर द्वारा अवैध उक्त अवैध वसीयत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवाकर आगे से आगे भूमि बैचान, रहन, हस्तांतरण करना चाहते है जिसें ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अप्रार्थीगण उक्त अवैध व विधि विरूद्व कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं है। प्रार्थीगण को कई कानूनी जटिलताएं वाद की बाहुलिताओं में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी जिसका वर्णत प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित है की भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में जबरन प्रवेश नहीं करें एवं प्रार्थीगण के भोग आवास में दखलंदाजी पैदा नहीं करें उक्त कृत्य अप्रार्थीगण न स्वयं करें न ही किसी व्यक्ति, मजदूर, ऐजेन्ट, ठेकेदार से करावें। वादग्रस्त आराजी के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 ने ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक अनुतोष प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 को जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निराधार, बेबूनियाद व तथ्यों से परे होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय कोष्ठ खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते वक्त यह विशेष रूप से विदित रहे कि बैंक की सद्भाविक रूप से राजस्व रिकॉर्ड अनुसार एवं मौके पर कब्जे के आधार पर किसान हित में के.सी.सी. लोन प्रदान किया है इसलिए बैंक के हितों को मध्य नजर रखते हुए, बैंक के बकाया राशि के भुगतान का दायित्व तय करते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण फरमावें।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खसरा नंबर 236 रकबा 6.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 243 रकबा 3.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 315 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 316 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1955/317 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1956/317 रकबा 11.72 हैक्टेयर जुमले रकबा 22.484 हैक्टेयर भूमि पर उभयपक्षकारान् मौके एवं राजस्व रेकर्ड की

सहायक ... सांचौर
(... अधिकारी सांचौर)

हैक्टेयर जुमले रकबा 22.484 हैक्टेयर भूमि पर उभयपक्षकारान् मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)